न्यायालयः– न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 01, आजमगढ़।

सत्र परीक्षण संख्या–285/2023

राज्य बनाम सुमन आदि।

मु०अ०सं०–216/2022

अं०धारा–323, 504, 506, 458, 308, 324, 34, 304, 325 भा०दं०सं०,

थाना–जहानागंज, जनपद–आजमगढ़।

दिनांक–08.08.2024

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण की तरफ से गैर हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया जो आज की तिथि के लिए स्वीकृत किया जाता है। अभियुक्तागण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को प्रार्थनापत्र 12 ख पर सुना जा चुका है। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ नियत है।

प्रार्थनापत्र 12 ख प्रार्थिनीगण/अभियुक्तागण सरिता, काजल, शीला व सुमन की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि मुकदमा उपरोक्त में प्रार्थिनीगण /अभियुक्तागण बिल्कुल निर्दोष हैं मात्र रंजिशन अभियुक्त बनायी गयी हैं। उपरोक्त मुकदमा की अभियुक्तागण महिला हैं उनके द्वारा कोई मारपीट नही की गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट से लेकर धारा 161 दं०प्र०सं० के सभी साक्षियों के बयान तक किसी भी द्वारा प्रार्थिनीगण/अभियुक्तागण की विशेष भूमिका नही बतायी गयी है। मुकदमा उपरोक्त में प्रार्थिनीगण/अभियुक्तागण के द्वारा किस व्यक्ति या मृतक को किस हथियार से चोट पहुँचायी गयी है इसका कहीं पर भी उल्लेख नही है। मृतक को एक चोट आना (इस्टिय) के रूप में आना शव विच्छेदन आख्या से परिलक्षित होता है जिससे यह स्वभाविक रूप से स्पष्टतया प्रतीत है कि चोट एक है और वह कैसे आयी इसका कोई वर्णन सम्पूर्ण केस डायरी व प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहीं पर नही दर्शाया गया है। प्रार्थिनीगण/अभियुक्तागण को मात्र गांवी रंजिश के कारण फर्जी कपोल कल्पित कथानक के आधार पर फंसाया दिया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य में कहीं पर भी प्रार्थिनीगण/अभियुक्तागण के विरुद्ध कोई विशेष साक्ष्य नही है। अतः उन्हें आरोप से उन्मोचित किये जाने की याचना की गयी है।

प्रार्थिनीगण/अभियुक्तागण के उपरोक्त डिस्चार्ज प्रार्थनापत्र 12 ख के विरुद्ध वादी मुकदमा की ओर से आपत्ति दिनांकित 11.07.2024 इस आशय की दाखिल की गयी है कि प्रार्थनापत्र बलहीन है। अभियुक्तागण व अन्य के मारने से पेशु की मृत्यु हो गयी है तथा अभियुक्तागण के मारने से पाँच अन्य लोगों के सिर व शरीर पर तमाम चोटें आयीं हैं। मुकदमा वादी की ओर से घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट तुरन्त थाने पर दर्ज करायी गयी है, जिसमें अभियुक्तागण सुमन व अन्य अभियुक्त हैं। मुकदमा वादी व चोटहिलों के बयान अन्तर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० में उपरोक्त अभियुक्तागण सुमन आदि का नाम मारने वालों में आया है। डिस्चार्ज प्रार्थनापत्र मुकदमें को विलम्बित करने के आशय से दिया गया है। अतः डिस्चार्ज प्रार्थनापत्र 12 ख निरस्त किये जाने की याचना की गयी है। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा उपरोक्त कथनों का समर्थन करते हुए यह तर्क दिया गया है कि विवेचक ने अपनी विवेचना में अभियुक्तगण के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पायी है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों ने धारा 161 दं०प्र०सं० के कथनों में घटना का समर्थन किया है। विवेचक ने अपनी विवेचना में अभियुक्तागण के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए अभियुक्तागण के विरुद्ध उपरोक्त धारा में आरोप पत्र प्रेषित किया है। अतः प्रार्थनापत्र 12 ख निरस्त करते हुए अभियुक्तागण के विरुद्ध आरोप विरचित किया जाये।

सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा श्रवण की ओर से घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट मु०अ०सं० 216/2022, अन्तर्गत धारा 323, 504, 506, 458, 308, 34, 324 भा०दं०सं० में अभियुक्तगण दीपक, भूषण, योगी, निरहू, विपिन, मुल्ला, टुनटुन, सरिता, काजल, शीला व सुमन के विरुद्ध दर्ज करायी गयी है। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना गवाहों के बयान अन्तर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० अंकित किये गये हैं, दौरान विवेचना चोटहिल पेशू की मृत्यु हो गयी है जिसका पंचायतनामा व पोस्टमार्टम कराया गया है। चोटहिलों की चिकित्सीय आख्या व एक्स–रे रिपोर्ट भी पत्रावली पर उपलब्ध हैं। बाद सम्पूर्ण विवेचना विवेचक द्वारा धारा 304, 325 भा०दं०सं० की बढ़ोत्तरी करते हुए अभियुक्तगण दीपक नोना, भूषण नोना, योगी नोना, निरहू नोना, विपिन नोना, मुल्ला नोना, टुनटुन नोना, सरिता नोना, काजल नोना, शीला नोना व सुमन नोना के विरुद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 323, 504, 506, 458, 308, 324, 34, 304, 325 भा०दं०सं० में प्रेषित किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **Bharat Parikh vs. C.B.I., 2008 Cr.L.J. 3540(SC)** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि न्यायालय को आरोप विरचन के समय मात्र अन्वेषण एजेन्सी द्वारा प्रेषित प्रपत्रों को संज्ञान में लेना चाहिए। अभियुक्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जो आधार लिये गये हैं, उस आधार पर अभियुक्तागण को उक्त धाराओं से उन्मोचित नही किया जा सकता है। तद्नुसार प्रार्थनापत्र 12 ख निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते आरोप विरचन दिनांक 12.09.2024 को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 01,
आजमगढ़।

Digitally signed by SATISH CHANDRA DWIVEDI
Date: 2024.08.08 16:49:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court